

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 15/ 2022

GCMS NO. : 2022/67

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

श्री शरद पण्ड्या,
कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र,
घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाड़ा

बनाम

अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005


दिनांक :- 20-10-2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 26-08-2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 07-10-2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा ने उनके पत्रांक 40(1) A.D.M./ RTI/ 1st Appeal/ 2021/ 134 दिनांक 10-10-2022 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26-08-2022 को प्रस्तुत प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा तथा आयुक्त नगर परिषद बांसवाड़ा से सम्बन्धित होने से प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत उन्हे पत्रांक 106 दिनांक 30-08-2022 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने स्थानान्तरित कर दिया गया था, जिसकी सूचना संबंधित प्रार्थी को भी दी गई है। दिनांक





जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)



12-10-2022 को उपखण्ड (लोक सूचना अधिकारी) अधिकारी बॉसवाडा को नोटिस जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा पत्रांक 4296 दिनांक 20-10-2022 से जवाब प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 पर वस्तुस्थिति जाँच कर रिपोर्ट हेतु आयुक्त नगर परिषद कार्यालय बॉसवाडा को पत्रांक 192 दिनांक 13.06.2022 को कार्यालय की ई-मेल आई.डी से प्रेषित किया गया। सूचना का सम्बन्ध आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत प्रार्थना पत्र पत्रांक 4041 दिनांक 09.09.2022 से आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा को अन्तरित किया गया था। उक्त कार्यवाही से प्रार्थी को सूचित किया गया है।

दिनांक 20-10-2022 को प्रत्यर्थी सुनवाई हेतु अनुपस्थित है। अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा उनके पत्रांक 40(1) A.D.M./ RTI/ 1st Appeal/ 2021/ 134 दिनांक 10.10.2022 से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा तथा आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा से सम्बन्धित होने से प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत उन्हें पत्रांक 106 दिनांक 30-08-2022 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने स्थानान्तरित कर दिया है। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा के पत्रांक 4296 दिनांक 20-10-2022 को प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 को वस्तुस्थिति जाँच कर रिपोर्ट हेतु आयुक्त नगर परिषद कार्यालय बॉसवाडा को पत्रांक 192 दिनांक 13.06.2022 को कार्यालय की ई-मेल आई.डी से प्रेषित किया गया। सूचना का सम्बन्ध आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत प्रार्थना पत्र पत्रांक 4041 दिनांक 09.09.2022 से आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा को अन्तरित किया गया।


हमने पत्रावली का एवं लोक सूचना अधिकारी अति.जिला कलक्टर बॉसवाडा, उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। वांछित सूचना अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सम्बन्धित नहीं होने से उनके द्वारा यथा समय अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र, पत्रांक 106 दिनांक


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

30-08-2022 से उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा एवं आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित किया गया है। आयुक्त नगर परिषद जिला बॉसवाडा के प्रथम अपीलीय अधिकारी, सभापति, नगर परिषद बॉसवाडा है। अतः अपीलार्थी सम्बन्धित अपील अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 की वस्तुस्थिति जाँच कर रिपोर्ट हेतु आयुक्त नगर परिषद कार्यालय बॉसवाडा को पत्रांक 192 दिनांक 13.06.2022 को उनके कार्यालय की ई-मेल आई.डी से प्रेषित किया। जिसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उक्त अपीलार्थी का प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत प्रार्थना पत्र पत्रांक 4041 दिनांक 09.09.2022 से आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा को अन्तरित किया है। जबकि उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा को प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 पर की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में अपीलार्थी श्री शरद पण्ड्या को सूचना उपलब्ध करवायी जानी थी, जो उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई वरन उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत आयुक्त नगर परिषद बॉसवाडा को अन्तरित किया गया। जो गलत है। उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा द्वारा जवाब में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 की वस्तुस्थिति जाँच कर रिपोर्ट हेतु आयुक्त नगर परिषद कार्यालय बॉसवाडा को उनके पत्रांक 192 दिनांक 13.06.2022 को उनके कार्यालय की ई-मेल आई.डी से प्रेषित किया है। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 पर की गई कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
जिला कलेक्टर,
बसवाडा (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बसवाडा (राज.)